



नवीन चु - २०१८ / ६२४३

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय म०प० स्थानियर म०प०

प०प० 2017
प्रिंगरानी/विद्या/भ्रू.ल/2017/6243

ब्राह्मण आज दि 22-12-17
प्रस्तुत। प्राप्तिक तक है
दिनांक 2-1-18 दिया।
राजस्व मण्डल, म.प्र. स्थानियर
कोट कोट 22-12-17

- 1- राहुल आयु 24 वर्ष पुत्र प्रेमना रायण जाति प्रजापति निवासी वार्ड नं. 18 पंडापुरा बासौदा
- 2- प्रेमना रायण पुत्र चासीलाल जाति प्रजापति निवासी वार्ड नं. 18 छठ पड़ापुरा बासौदा
जिला विद्या म०प० - - - आवैदकगण

ब्राम

- गृहनिमणि वस्तु उत्पादनसङ्करी समिति
द्वारा- अध्यक्ष सुन्दरलाल पुत्र धन्नालाल जाति
प्रजापति निवासी वार्ड नं. 24 गंग बासौदा
- 2- सचिव गण्डलाल नाथ पुत्र रविशंकर नाथ
निवासी पूरानी नगर पारिस्का के पास बासौदा
 - 3- जीवनलाल पुत्र मानकमाल प्रजापति निवासी
सिरोज चौराहा वार्ड नं. 21 बासौदा
 - 4- प्रकाश पुत्र आमालू - नामैव निवासी
वार्ड नं. 22 सल्लुख सदर बाजार गंग बासौदा
जिला विद्या म०प० - - - अनावैदकगण

आवैदन पत्र अन्तर्तीत धारा 50 निगरानी म०प० भूरास्तहता
1959 के अनुसार

प्र०४ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बासौदा
के सीमांकन प्र०५० ०५/११-१२/२०१७-१८ व मामले ग्रह
निमाणि वहरु उत्पादन सङ्कारी समिति अध्यक्ष सुन्दरलाल
सीमांकन दिनांक ८-१२-२०१७ के किस्ट निगरानी पैश है।

श्रीमान महोदय,

निगरानी इस प्रकार है कि:-

I :- यह कि आवैदकगण ग्राम कस्बा छठ पड़ापुरा बासौदा की जारी सर्वे नं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6243

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०८।१२।१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 57/अ-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.02.18 को कलेक्टर जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p> </p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	